

यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना वांछित उद्देश्यों को पूरा करें, यह आवश्यक है कि सभी स्तरों पर पर्याप्त क्षमताएं विद्यमान हो। मनरेगा योजना में जमीनी स्तर यथा ग्राम पंचायत तक पहुँच सम्मिलित है। एकट में क्षमता निर्माण की विभिन्न पहलुओं का वर्णन अंकित है। इनमें नियमों को लागू करना, आवश्यक प्रशासनिक ढाँचा स्थापित करना, कार्मिकों की स्थापना एवं इनको समुचित प्रशिक्षण प्रदान करना, सूचनाओं का प्रसार एवं शिक्षा तथा संचार सम्मिलित है।

लेखा परीक्षा में क्षमता निर्माण के क्षेत्र में कई कमियां पायी गयीं जिनको आगे के प्रस्तरों में वर्णित किया गया है:

लेखा परीक्षा के परिणाम

2.1 राज्य रोजगार गांरटी परिषद

मनरेगा की धारा 12, राज्य सरकार को राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) की अध्यक्षता में योजना के क्रियान्वयन हेतु सलाह देने, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करने हेतु राज्य रोजगार गांरटी परिषद (एसईजीसी) के गठन का प्रावधान करती है। एसईजीसी के अन्य उत्तरदायित्वों में, प्राथमिकता वाले कार्यों को निश्चित करना एवं भारत सरकार को कार्यों के प्रस्ताव को संस्तुत करना था।

मनरेगा प्रकोष्ठ, लखनऊ के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि राज्य सरकार ने 16 सदस्यीय एसईजीसी का गठन (मई 2006) किया तथापि 15 गैर सरकारी सदस्य 19 महीनों के विलम्ब से नामित किये गये। अग्रेतर, राज्य सरकार द्वारा एसईजीसी की बैठक के लिए कोई कोरम या आवर्तता निर्धारित नहीं की गई। परिणामस्वरूप, एसईजीसी की बैठक वर्ष में केवल एक/दो बार ही हुई। राज्य सरकार ने एक आयुक्त भी नामित नहीं किया जिसके दिशा-निर्देशों के अधीन योजना क्रियान्वित होनी थी। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि आयुक्त, ग्रामीण विकास को विभिन्न चरणों में आयुक्त, मनरेगा के रूप में आवधिक रूप से नामित किया गया।

शासन द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि आयुक्त, ग्रामीण विकास पदेन राज्य रोजगार गांरटी आयुक्त थे एवं एक स्वतंत्र आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रियाधीन थी।

इस प्रकार, शीर्ष स्तर पर ही योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में समझौता किया गया।

2.2 कार्मिकों की कमी

भारत सरकार ने पदानुक्रम के प्रत्येक स्तर के लिये प्रशासनिक प्रारूप का सुझाव दिया था (जनवरी 2006; मार्च 2007)। एकट के अनुसार, राज्य सरकार को जिला एवं ब्लाक स्तर पर क्रमशः एक कार्यक्रम समन्वयक एवं एक कार्यक्रम अधिकारी (पीओ) को नामित करना था एवं एकट के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक स्टाफ एवं तकनीकी सहयोग आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना था। इसके अतिरिक्त, संचालन दिशा-निर्देशों में (प्रस्तर 3.1.1) प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सेवक (जीआरएस) एवं प्रत्येक पांच से दस ग्राम पंचायतों में एक तकनीकी सहायक (टीए) की नियुक्ति का भी सुझाव

दिया गया था। तथापि, लेखा परीक्षा में एकत्रित आकड़ों में पाया गया कि मार्च 2012 तक राज्य में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्मिकों की नियुक्ति में कमी थी। विवरण नीचे सारणी 2.1 में हैं:

सारणी 2.1: मार्च 2012 तक स्टाफ की तैनाती की स्थिति

स्तर	इकाईयों की संख्या	कार्मिक	आवश्यकता (प्रति इकाई पदों की संख्या)	स्वीकृत पद	व्यक्तियों की तैनाती	कमी
						कोष्ठक में प्रतिशत
ग्राम पंचायत	51,980	ग्राम रोजगार सेवक	1	48946 ¹	41491	7455(15)
		तकनीकी सहायक			नियुक्ति नहीं	
ब्लाक	820	अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी	1	783	704	79(10) ²
		लेखा सहायक तकनीकी सहायक ³	1	792	660	132(17)
		कम्प्यूटर सहायक	1	7931	5398	2533(32)
जिला	72	कार्य प्रबंधक	1	745	554	191(26)
		आईटी प्रबंधक कम्प्यूटर सहायक के साथ	1	53	35	18(34)
		लेखा प्रबंधक लेखा सहायक के साथ	1	47	22	25(53)
		प्रशिक्षण समन्वयक	1	49	36	13(27)
		सोशल आडिट एवं शिकायत निवारण समन्वयक	1	273	256	17(6)

(स्रोत: अपर आयुक्त, मनरेगा प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

कार्मिकों के सभी संवर्ग में उनकी कमी 6 प्रतिशत से 53 प्रतिशत के बीच थी। उपर्युक्त सारणी, मार्च 2012 की समाप्ति तक, ग्राम पंचायतों एवं ब्लाक के महत्वपूर्ण स्तरों पर क्रमशः 15 प्रतिशत ग्राम रोजगार सेवकों एवं 32 प्रतिशत तकनीकी सहायकों के मुख्य संवर्ग में वृहद कमी को दर्शाती है। नमूना जांच में यह पाया गया कि गाजियाबाद जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर 405 ग्राम रोजगार सेवकों एवं 41 तकनीकी सहायकों की आवश्यकता के सापेक्ष कोई भी ग्राम रोजगार सेवक एवं तकनीकी सहायक तैनात नहीं था। इसी प्रकार, बुलंदशहर जनपद में भी 899 ग्राम रोजगार सेवकों की आवश्यकता के सापेक्ष कोई भी ग्राम रोजगार सेवक तैनात नहीं था। शेष 16 जिलों में भी इन कार्मिकों की कमियां पाई गयीं।

अग्रेतर, पीओ की नियुक्ति के संबंध में, एकट की धारा 15(1) का अनुपालन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया। तथापि कार्यक्रम अधिकारी के रूप में खण्ड विकास अधिकारी के नामित किये जाने के साथ अन्य व्यक्ति को अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के रूप में नियुक्ति किया गया।

शासन द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि वांछित कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे इसलिए एपीओ की नियुक्ति बीड़ीओ के साथ की गयी। अग्रेतर, यह बताया गया कि अपेक्षित

¹ आवश्यकतानुसार इसे 51980 होना चाहिए।

² राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर संशोधित

³ इसमें ग्राम पंचायत के तकनीकी सहायक भी शामिल हैं।

स्टॉफ को काम पर लगाये जाने के लिए पर्याप्त प्रशासनिक व्यय अर्जन हेतु कई जनपदों में पर्याप्त संख्या में कार्य दिवस सृजित नहीं किये गये थे।

उत्तर इस आधार पर सही नहीं था क्योंकि राज्य स्तर पर प्रशासनिक व्यय के लिए खोले गये बैंक खाते में 2010–11 में ₹ 20.80 करोड़ एवं 2011–12 में ₹ 20.44 करोड़ की राशि अव्ययित थी। प्रमुख सचिव ने चर्चा (जनवरी 2013) के दौरान आश्वस्त किया कि ब्लाकों में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों के रिक्त पदों पर पुनर्विचार किया जाएगा।

इस प्रकार, ग्राम पंचायत, ब्लाक एवं जिला स्तर पर अपर्याप्त प्रबंधन सहायता के कारण राज्य में मनरेगा के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

2.3 स्टाफ पर अनियमित व्यय

मनरेगा प्रकोष्ठ

भारत सरकार ने राज्य सरकार को मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यालय स्थापित करने का निर्देश (जुलाई 2008) दिया था तथा कार्यालय की स्थापना के लिए तदनुसार पदों के सृजन का सुझाव दिया था। इस प्रकार राज्य सरकार ने कई कार्मिकों जैसे—आईईसी (सूचना, शिक्षा एवं संचार) समन्वयक, प्रशिक्षण समन्वयक, नियोजन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समन्वयक, कार्य प्रबंधक, आईटी प्रबन्धक, सोशल आडिट आफिसर, शिकायत निवारण प्रबंधक, वित्त प्रबंधक, एवं एपीओ की नियुक्ति की। उन्हें श्रम शक्ति आपूर्ति सेवा प्रदाता से संविदा के आधार पर लिया गया एवं भारत सरकार के मानक के अनुसार भुगतान किया गया। राज्य सरकार ने संबंधित सभी को दिशा—निर्देश जारी किया (अक्टूबर 2008, फरवरी 2009) कि सेवा प्रदाता से अनुबन्ध एक वर्ष के लिए वैध होगा जब तक कि संतोषजनक सेवाओं के आधार पर उत्तरवर्ती वर्ष के लिए उनका नवीनीकरण न किया जाए। सेवा प्रदाता से बैंक प्रत्याभूति⁴ जमा किया जाना अपेक्षित था। तथापि लेखा परीक्षा ने प्रक्रिया में कई कमियां पायी जिनका विवरण निम्नवत् है:

- सेवा प्रदाता की नियुक्ति में प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी।
- मनरेगा प्रकोष्ठ ने मेसर्स डाटामेशन कंसल्टेन्ट प्राइवेट लिमिटेड (फर्म) के साथ विभिन्न कार्मिकों को मुहैया कराने का अनुबन्ध किया (जून 2009)। इसमें अनेक कार्मिक ऐसे थे जो कि भारत सरकार के दिशा—निर्देशों में प्राविधानित नहीं थे जैसे—कलर्क, कम्प्यूटर, ऑपरेटर, हेल्पलाइन एक्जीक्यूटिव, प्रबंधक शिकायत निवारण, एमआईएस विश्लेषक एवं डाटा इंट्री ऑपरेटर।
- संविदा जिसका वार्षिक आधार पर नवीनीकरण होना था, वह स्वतः वर्ष दर वर्ष नवीनीकृत होती रही।
- सेवा प्रदाता को भुगतान (₹ 83.04 लाख) करते समय ₹ 1.67 लाख आयकर की कम कटौती की गई।
- बैंक प्रत्याभूति जो कि नियमों के अंतर्गत आवश्यक थी, को सेवा प्रदाता से नहीं लिया गया।

⁴ संविदा के क्रियान्वयन के पूर्व उन्हें देय वार्षिक धनराशि के 2 प्रतिशत के दर से फिक्सड डिपैजिट के रूप में।

- आईईसी समन्वयक को प्रतिमाह ₹ 30,000 का भुगतान अनुमन्य किया गया था जबकि भारत सरकार द्वारा सुझाए गये स्टाफिंग प्रारूप में एपीओ पद के लिए अधिकतम ₹ 20,000 प्रतिमाह था।

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि भारत सरकार के आदेशानुसार (जुलाई 2008) सूचना, शिक्षा एवं संचार समन्वयक लगाए गये थे जिसमें मानदेय के भुगतान के लिए कोई दर निर्धारित नहीं थी। राज्य सरकार ने आगे कहा (जनवरी 2013) कि वे अब एपीओ को देय दर (₹ 20,000 प्रति माह) पर लगाए गये हैं। लेकिन इस दावे के समर्थन में लेखा परीक्षा को कोई अभिलेख नहीं दिखाया गया। आयकर कटौती के संदर्भ में शासन द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि इसे भविष्य में भुगतान योग्य राशि में समायोजित कर लिया जाएगा।

इस प्रकार शासन ने मनरेग्स प्रकोष्ठ के लिए लगे कार्मिकों के मामले में सामान्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया। मनरेग्स प्रकोष्ठ के लिए कार्मिकों की नियुक्ति में भी भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया एवं गैर अनुमोदित स्टॉफ जैसे— कलर्क, डीईओ इत्यादि की नियुक्ति की गई। सेवा प्रदाता के साथ बिना प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया का अनुसरण किये, अनुबन्ध किया गया एवं बैंक प्रत्याभूति लिये बिना, इस निमित्त न केवल ₹ 83.04 लाख का अनियिमत भुगतान सेवा प्रदाता को किया गया बल्कि इससे राज्य में योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही भी प्रदर्शित होती है।

एपीओ की नियुक्ति

राज्य सरकार ने ब्लाक के अलावा अन्य कार्यालयों में भी एपीओ⁵ की तैनाती की। इसके लिए राज्य सरकार ने योजना में अध्याय 8 एवं 9 को द्वितीय संशोधन द्वारा शामिल किया (अक्टूबर 2008)। बार-बार मांगने पर भी लेखा परीक्षा को उन पर हुए वास्तविक व्यय उपलब्ध नहीं कराये गये। तथापि नमूना जांच में लिये गये 14 जिलों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मार्च 2009 से मार्च 2012 की अवधि में वहां तैनात 37 एपीओ को ₹ 1.43 करोड़ का भुगतान किया गया। इस प्रकार, एक ओर जहां मुख्य निष्पादन अभिकरण (ब्लाक) स्तर पर एपीओ (79) का स्थान रिक्त था वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों में सहायक स्टाफ के रूप में एपीओ की तैनाती की गई थी।

अग्रेतर, लेखा परीक्षा में पाया गया कि योजना के द्वितीय संशोधन (अक्टूबर 2008), जिसके द्वारा इन एपीओ का प्रावधान किया गया था, को माननीय उच्च न्यायालय, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा अधिकारातीत घोषित कर दिया गया (सितम्बर 2009)। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है।

तकनीकी संसाधन सहायता समूह

नियोजन, अभिकल्प, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं गुणवत्ता लेखा परीक्षा में सहायता प्रदान करने के लिए संचालन दिशा-निर्देशों में राज्य एवं जनपद स्तर पर तकनीकी संसाधन सहायता समूह (टीआरएसजी) की स्थापना परिकल्पित था। सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के अधीन स्थापित प्राविधिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ (टीएसी) के इंजीनियरों (राज्य

⁵मुख्य विकास अधिकारी एवं संयुक्त विकास आयुक्त के कार्यालयों में प्रत्येक में दो एपीओ एवं आयुक्त कार्यालय मनरेगा में चार।

सरकार के कर्मचारी) से सेवाएं लेने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2010)। तथापि आयुक्त, मनरेगा ने उनके वेतन व भत्तों के लिये जनवरी 2011 से मार्च 2012 की अवधि हेतु ₹ 2.04 करोड़ का भुगतान किया और उसे मनरेगा के प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत पुस्तांकित किया। चूंकि कार्य में लगे इंजीनियर राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी थे और वे समर्पित मनरेगा कार्मिक नहीं थे, अतः उनके वेतन एवं भत्तों का भुगतान मनरेगा निधि से अनुमन्य नहीं था।

इसके अलावा, लगाये गये 20 इंजीनियर प्रभागीय स्तर पर तैनात थे (उनमें से पांच दोहरे प्रभार वाले थे)। वे राज्य के 72 जिलों के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस प्रकार, वृहद पैमाने पर, जिले, बिना तकनीकी सहायता के रहे एवं निधि जिसका उपयोग टीआरएसजी स्टॉफ के लिए किया जा सकता था, उसे राज्य सरकार में नियुक्त इंजीनियरों के वेतन के भुगतान के लिये अपवर्तित कर दिया गया।

अग्रेतर, लेखा परीक्षा ने पाया कि टीआरएसजी के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा जारी ₹ 54.20 लाख की पहली किस्त (2008), राज्य स्तर पर मार्च 2012 तक अव्ययित रही। परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने कोई उत्तरवर्ती किस्त जारी नहीं की।

उत्तर में, राज्य सरकार ने कहा (जनवरी 2013) कि प्रावधिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ के कर्मचारियों को मनरेगा निधि से वेतन का भुगतान जनवरी 2013 से रोक दिया गया।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि पूर्व में हुए ₹ 2.04 करोड़ के अमान्य भुगतान को मनरेगा को वापस किये जाने की अपेक्षा थी।

2.4 अपर्याप्त प्रशिक्षण

संचालनात्मक दिशा-निर्देश 2008 के प्रस्तर 3.3 के अनुसार राज्य सरकार से, प्रभावी नियोजन, कार्य मापन, जन-जागरण, सोशल आडिट इत्यादि के लिए मुख्य कार्याधिकारियों जैसे जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी), कार्यक्रम अधिकारी, इत्यादि के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण व्यवस्था कराया जाना अपेक्षित था। विभिन्न हितधारकों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण माड्यूल विकसित करना तथा प्रशिक्षण कैलेन्डर बनाया जाना था। अभिलेखों की जांच में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये:

प्रशिक्षण सत्र एवं प्रशिक्षुओं की संख्या में कमी

दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, लखनऊ से विभिन्न स्तरों पर मुख्य कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना अपेक्षित था। लेखा परीक्षा के संज्ञान में आया कि संस्थान ने लक्षित 771 सत्रों के सापेक्ष केवल 235 सत्र (30 प्रतिशत) आयोजित किये (2011–12)। इसी प्रकार लक्षित 30,863 प्रशिक्षुओं के सापेक्ष केवल 6,987 प्रशिक्षुओं (23 प्रतिशत) को ही प्रशिक्षण दिया गया। यह कमी, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि ₹ 19.88 करोड़ में से ₹ 9.94 करोड़ की पहली किस्त (मार्च 2011) राज्य सरकार को अवमुक्त किये जाने के बावजूद थी। यह भी पाया गया कि ₹ 2.06 करोड़ संस्थान को एवं ₹ 45.80 लाख 31 जिलों को, प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए उपलब्ध कराये गये एवं ₹ 5.36 लाख, प्रशिक्षण/कार्यशाला पर खर्च किये गये। मार्च 2012 तक ₹ 7.37 करोड़ की अवशेष धनराशि अव्ययित रही। इसके अलावा, ₹ 2.06 करोड़ जो कि संस्थान को स्थान्तरित थी, उनमें से ₹ 1.33 करोड़ मार्च 2012 तक अव्ययित पड़ी रही। जैसा कि अपेक्षित था, अव्ययित अवशेष को एमओआरडी को वापस नहीं किया गया (मार्च 2012)।

शासन द्वारा बताया गया कि (जनवरी 2013) राज्य में विधानसभा चुनावों के कारण प्रशिक्षण पर व्यय नहीं हुआ।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि चुनाव केवल फरवरी—मार्च 2012 तक हुए थे।

जिला स्तर पर प्रशिक्षण

लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिला ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा जिला विकास योजनाओं के तैयार करने के लिए सीतापुर जिले के 9 ग्राम पंचायतों के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। तथापि शेष 16 नमूना जांच जिलों की 427 ग्राम पंचायतों में ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। जहां कहीं प्रशिक्षण दिया गया, वहां समुचित ज्ञान की कमी ने नियोजन प्रक्रिया को प्रभावित किया, जैसा कि 18 नमूना जांच के जिलों की सभी 460 ग्राम पंचायतों में 2008–12 की अवधि में जिला विकास योजना की तैयारी में विलम्ब के तथ्य से पता चलता है।

राज्य सरकार द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि प्रशिक्षण, जिलों (जिला ग्रामीण विकास संस्थान) द्वारा आयोजित किये गये।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि अभिलेखों की नमूना जांच की अवधि में संबंधित ग्राम पंचायतों ने बताया था कि कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

इस प्रकार यह महत्वपूर्ण संसाधन, जिसे प्रभावी क्षमता निर्माण हेतु परिकल्पित किया गया था, अपर्याप्त रूप से प्रयुक्त हुआ और प्रशिक्षण, जैसा कि संचालन दिशा—निर्देशों में दिया गया था, प्रदान नहीं किया गया था।

2.5 सूचना, शिक्षा एवं संचार

मनरेग्स को, मांग आधारित रोजगार सृजक योजना के रूप में लिया गया था। अतः इस योजना के लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इच्छुक लाभार्थी को पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराये जाने एवं उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता थी। संचालनात्मक दिशा—निर्देशों के प्रस्तर 3.2 के अनुसार सरकार को एकट के महत्वपूर्ण प्रावधानों को प्रचारित करने के लिए गहन सूचना, शिक्षा एवं संचार का कार्य शुरू करना एवं विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन करना था, जैसे पंजीकरण की प्रक्रिया इत्यादि।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि आईसी की गतिविधियों के लिए न ही कोई राज्य स्तरीय व्यापक योजना तैयार की गई थी और न ही लेखा परीक्षा को उपलब्ध करायी गयी। योजना के प्रारम्भिक चरण के दौरान कुछ पैम्पलेट्स छापे गये थे जो लाभार्थियों को व्यापक सूचना प्रसार के लिए अपर्याप्त थे। आईसी घटक के अधीन अप्रभावकारी गतिविधि का मामला एसईजीसी की बैठक में उठाया गया था (मार्च 2009) एवं प्रत्येक ब्लाक के लिए ₹ 10000 का बजट, पैम्पलेट्स छापाई, दृश्य एवं प्रिन्ट मीडिया तथा प्रलेखन के माध्यम से संबंधित गतिविधि के लिए अनुमादित किया गया था। वर्ष 2007–12 की अवधि में, नमूना जांच के 16 जिलों में, ₹ 3.06 करोड़, प्रचार, दीवार की पुताई इत्यादि पर व्यय किये गये।

सरकार ने योजना से संबंधित सूचना को प्रचारित करने के लिए दीवार पर स्लोगन लेखन का निर्णय लिया (सितम्बर 2008)। इसके अनुसार जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए), जिला बलरामपुर ने 3800 स्थानों पर स्लोगन लिखने के लिए

फर्म को कार्य आदेश जारी किया (नवम्बर 2008)। फर्म ने 2,819 स्लोगन लेखन के लिए ₹ 9.77 लाख का बिल प्रस्तुत किया। लेखा परीक्षा में पाया गया कि भुगतान जारी करने से पूर्व, कनिष्ठ इंजीनियर ने केवल 546 लेखन को सत्यापित किया। फिर भी, नौ लाख रूपये का भुगतान (जनवरी 2010) ठेकेदार को इस आधार पर किया गया कि समय व्यतीत होने एवं बारिश के कारण लिखे स्लोगन मिट गये होंगे, अतः ₹ 9.00 लाख का अनियमित व्यय हो गया। इसी तरह दिसम्बर 2007 में, 1.50 लाख कलेण्डर ₹ 31 प्रति कलेण्डर की दर से, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ से बिना क्रय प्रक्रिया का पालन किये खरीदे गये (लागत ₹ 46.50 लाख) जबकि ग्रामीण विकास विभाग की जांच में यह पाया गया कि उस समय बाजार में कलेण्डर केवल छः रूपये प्रति की दर से उपलब्ध थे। इसके अतिरिक्त यद्यपि 30,000 कलेण्डर की आपूर्ति, आपूर्तिकर्ता ने की थी, फिर भी 1.50 लाख कलेण्डर के लिए भुगतान किया गया। इस प्रकार ₹ 44.70 लाख का अमान्य भुगतान किया गया।

उत्तर में सरकार ने कहा (जनवरी 2013) कि प्रकरणों की जांच आर्थिक अपराध शाखा के अधीन थी। इस जांच के परिणाम प्रतीक्षित थे।

इस प्रकार, राज्य में मनरेग्स को, लाभार्थियों के बीच तक सूचना के प्रभावी प्रसार के बिना कार्यन्वित किया गया क्योंकि सूचना, शिक्षा एवं संचार के लिए कोई भी व्यापक नियोजन नहीं था। पैम्पलेट्स के वितरण, दीवार पर लेखन जैसी गतिविधियां तदर्थ आधार पर की गयी थीं। इसके अतिरिक्त अनियमित (₹ 9.00 लाख) एवं अमान्य (₹ 44.70 लाख) व्यय किये गये।

2.6 निष्कर्ष

राज्य में मनरेग्स के लिए क्षमता निर्माण तदर्थ आधार पर था। शीर्ष स्तर पर एसईजीसी की भूमिका एवं उत्तरदायित्व तथा ग्राम पंचायत, ब्लाक एवं जिला स्तर पर प्रबंधन सहायता सीमित थी। मनरेगा प्रकोष्ठ में विभिन्न संवगों के पदों के सृजन के बावजूद, सेवा प्रदान करने वालों को अनियमित रूप से सम्बद्ध किया गया था। इसके अलावा, प्रभावकारी नियोजन, कार्य मापन इत्यादि के लिए मुख्य कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का उद्देश्य वृहद पैमाने पर अपूर्ण रहा। योजना के संबंध में सूचना, शिक्षा एवं संचार के लिए कोई व्यापक नियोजन नहीं था।

2.7 संस्तुतियां

- सरकार को एसईजीसी की बैठक के लिए कोरम एवं आवृत्ति निर्धारित करनी चाहिए जिससे योजना के क्रियान्वयन में प्रभावकारी सुझावों को सुनिश्चित किया जा सके।
- सरकार को प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षित एवं पर्याप्त मानव शक्ति को सुनिश्चित करना चाहिए क्योंकि ऐसी कमियां योजना के क्रियान्वयन में प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।
- सरकार को प्रभावी सूचना, शिक्षा एवं संचार नीति बनानी चाहिए क्योंकि यह मांग आधारित योजना है इसमें लाभार्थियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है।